प्रेसनोट, दिनांक 26.04.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद
उन्नाव

एसओजी, सर्विलांस व कोतवाली सदर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई—20 लाख रु0 कीमत के चोरी के जेवरात व सामान बरामद, एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी, सर्विलांस व थाना कोतवाली सदर पुलिस की संयुक्त टीम द्वार चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 20 लाख रुपये कीमत के चोरी के जेवरात व सामान तथा 01 लाख 75 हजार रूपये नकद बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 23.04.2026 को थाना कोतवाली पर वादी मुकदमा श्री मनीष शुक्ला उर्फ सौरभ s/o विजय कुमार शुक्ला R/O 1159/1 , A.B. नगर थाना कोतवाली जनपद उन्नाव द्वारा इस वाबत प्रा0 पत्र दिया कि मेरे घर में पूर्व मे रहने वाले किरायेदार राज पाण्डेय व उनकी पत्नी इन्दू पाण्डेय द्वारा मेरे घर में रखे मेरी मां के जेवरात के बक्से का ताला तोडकर सोने चांदी के जेबरात चोरी कर लिये है ऐसा उनका पूर्ण भरोसा है और मकान खाली कर कही अन्यत्र चले गये है। वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 244/2026 धारा 303(2)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित चोरी के माल की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक चन्द्र कान्त मिश्र द्वारा गठित की गयी टीम , दौराने विवेचना आज दिनांक 26.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा इण्डियन ढाबा से आगे हुसैन नगर की तरफ जाने वाली नहर की पटरी से 1.इन्दू पाण्डेय पत्नी राज पाण्डेय उर्फ मोनू नि0 ग्राम नेवरना थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष 2. कुलदीप सोनी पुत्र अशोक सोनी उम्र 32 वर्ष नि0 कचौडी वाली गली थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को हिरासत लिया गया। मौके पर टीम की महिला का0 आराधना व साक्षी शुक्ला द्वारा महिला की तलाशी लेने पर कब्जे से 1 लाख 75 हजार रूपये नगद व पीली धातु 01 हार बडा 17.010 मि0ग्रा0 , 01 चैन छोटा 5.460 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी लेडीज 2.180 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी लेडीज 2.380 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी लेडीज 02.09 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी जेन्स 3.050 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी जेन्स 2.90 मि0ग्रा0 , 01 अंगूठी जेन्स 02.08 मि0ग्रा0 , 03 अदद नाक की कील 0.730 मि0ग्रा0 , 01 अदद गले का लाकेट 1.40 मि0ग्रा0 मिला तथा कुलदीप उपरोक्त के कब्जे से 01 हार छोटा 14.530 मि0ग्रा0 01 चैन लेडीज बडा 10.170 मि0ग्रा0 तथा एक इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद हुआ ।

बरामद माल के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ करने पर पकडी गयी महिला इन्दू पाण्डेय पत्नी राज पाण्डेय उर्फ मोनू नि0 ग्राम नेवरना थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष ने बताया कि मै किरन शुक्ला के मकान में करीब 3 वर्ष पूर्व किराये पर कमरा ली थी और वही रहती थी और अपनी मकान मालकिन किरन शुक्ला के रहने वाले कमरे में मेरा आना जाना रहता था पहले मैने धीरे -धीरे इनका भरोसा जीता और इनके कीमती सामान ज्वैलरी रखने वाले बक्से पर निगरानी रखती थी और इनकी निगाह बचाकर इन्ही की चाबी से स्टोर रूम खोलकर बक्से में रखे सोने के जेवरात को पूर्व में चोरी कर लिया था तथा मै दि0 15.04.2026 को इनका किराये का कमरा खाली करके चली गयी । इन लोगों द्वारा अपना सामान चेक किया और सामान न मिलने पर मेरे व मेरे पति राज पाण्डेय खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था जिसकी जानकारी होने पर मै डर गई थी और जो जेवरात चोरी किये थे उस सम्बन्ध में किसी वकील से मिलने के लिये जा रही थी जो जेवरात मिले है उसे बेचने हेतु कुलदीप सोनी सुनार को बुलाकर हार व लेडीज चेन जो कुलदीप के पास मिला है उसे कुलदीप को उसके कांटे से तोलकर 175000/-रू0 में बेच दिया था, वह आज बिक्री का ही पैसा था और अन्य जेवरात कुलदीप उधार मांग रहे थे लेकिन मैने इन्हे नही दिया और मैने अपने पास ही रख लिया था जो अभी मेरे पास से मिला है । इसके पहले मैने इन्ही जेवरातो में से नौ लाख पच्चीस हजार रूपये का जेवरात करीब दो माह पहले अपने जेठ नीरज पाण्डेय के साथ लखनऊ में मोहम्मद उमर ज्वलेर्स सर्राफा मार्केट चौक के मालिक सालिम पुत्र इसरार अहमद नि0 फूल वाली गली थाना चौक मूल पता 411/32 हाता भोला नाथ कुँआ अकबरी गेट थाना सहारतगंज लखनऊ को बेच दिया था उसी पैसे से मैने दिनांक 06.04.2026 को एक प्लाट 600 वर्ग फिट का ग्राम सैथा , तहसील सदर जिला लखनऊ पंकज त्रिपाठी पुत्र जानकी प्रसाद त्रिपाठी नि0 जनरैलगंज बालागंज लखनऊ से रूपये छः लाख अठ्ठाइस हजार में खरीदा था जो रजिस्ट्री मेरे बैग से मिली है यह उसी पैसे से खरीदी हुई जमीन की है । मैने इसी पैसे में से 1,50,000/- रूपये अपने जेठ नीरज पाण्डेय को उसी प्लाट की नीव व बाउण्ड्री गेट लगवाने के लिये दिया था । मैने अपने पति को बताये बिना यह चोरी की थी तथा अपने जेठ नीरज पाण्डेय के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था । आज मनीष शुक्ला के घर से की चोरी का बचा हुआ सामान बेचने तथा किसी वकील से मिलने जा रही थी कि आप लोगो ने पकड लिया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । आज दिनांक 26.04.2026 को अभियुक्तगण को नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिल कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.इन्दू पाण्डेय पत्नी राज पाण्डेय उर्फ मोनू नि0 ग्राम नेवरना थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र करीब 30 वर्ष

2.कुलदीप सोनी पुत्र अशोक सोनी उम्र 32 वर्ष नि0 कचौडी वाली गली थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

बरामदगी-

पीली धातु 01 हार बडा 17.010 मि0ग्रा0 ,

01 हार छोटा 14.530 मि0ग्रा0 ,

01 चैन लेडीज बडा 10.170 मि0ग्रा0 ,

01 चैन छोटा 5.460 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी लेडीज 2.180 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी लेडीज 2.380 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी लेडीज 02.09 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी जेन्स 3.050 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी जेन्स 2.90 मि0ग्रा0 ,

01 अंगूठी जेन्स 02.08 मि0ग्रा0 ,

03 अदद नाक की कील 0.730 मि0ग्रा0 ,

01 अदद गले का लाकेट 1.40 मि0ग्रा0

01 लाख 75 हजार रूपये नगद बरामद

अदद इलेक्ट्रानिक तराजू

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव

2.उ0नि0 उग्रसेन सिंह

3.हे0का0 रामदेव प्रजापति ,

4.का0 रामसेवक ,

5.का0 मुस्तकीम ,

6.म0का0 गायत्री ,

7.म0का0 आराधना

एसओजी टीम-

उ0नि0 ज्ञान सिंह

हे0का0 आशीष मिश्रा

का0 गौरव कुमार

का0 शुभम तोमर

का0 यशवीर सिंह

का0 नितेश यादव

का0 विकास सिंह

का0 हरेश कुमार

का0 राहुल कुमार

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 अतुल कुमार वर्मा

हे0का0 सुदीप कटियार

हे0का0 रोहित शर्मा

हे0का0 शीतांश

का0 विवेक कुमार

का0 अरुण कुमार